न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – अजित गुडिया ......बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – जुनास देमता .... बगैरह।

वाद सं0 18/2022

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 28/11/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 07/2022 दिनांक 12/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) अजित गुडिया उम्र 60 वर्ष पिता विन्तुस गुडिया ग्राम ब्लॉक चौक कामडारा (2) देवनिस तोपना उम्र 50 वर्ष पिता गब्रिएल तोपनो ग्राम टुरूण्डू (3) विपिन किशोर केरकेट्टा उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जोसेफ केरकेट्टा ग्राम बाम्नडीह (4) फा0 गब्रिएल आईद उम्र 41 वर्ष पिता संत अलोईस उच्च विद्यालय टुरूण्डू (5) फ्रांसिस तोपनो उम्र 60 वर्ष पिता फिलिप तोपनो ग्रम कुरमुल (6) जोन तोपनो उम्र 60 वर्ष पिता फ्रांसिस तोपनो ग्राम टुरूण्डू डांडटोली सभी थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) जुनास देमता उम्र 60 वर्ष पिता सामुएल मुण्डा ग्राम पोकला बस्ती (2) पतरस तोपनो उम्र 60 वर्ष पिता निकोलस तोपनो ग्राम पोकला बस्ती (3) स्मैल देमता उम्र 58 वर्ष पिता सामुएल मुण्डा ग्राम पोकला बस्ती थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि 1 एकड़ 25 डिसमील को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.12.01 11:24:00 +05:30
Location: 192.168.178.239